भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता

प्रलिम्सि के लयि:

भारत-इटली प्रवासन और आवाजाही समझौता, **यूरोपीय संघ**, इटली की भौगोलकि अवस्थति, **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थकि गलयिारा**, **वैश्वकि जैव ईंधन गठबंधन**, ब्लू-रमन परयिोजना

मेन्स के लयि:

भारत और इटली के बीच सहयोग के क्षेत्र

सरोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय मंत्रमिंडल** ने **भारत और इटली** के बीच **प्रवासन एवं आवाजाही समझौते** को **पूर्वव्यापी मंज़ूरी** दे दी।

भारत और इटली के बीच प्रवासन तथा आवाजाही समझौता क्या है?

- **परचिय:**
  - यह समझौता भारत और इटली के बीच लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए **अनयिमति प्रवासन से संबंधति मुद्दों पर सहयोग** को मज़बूत करने के लयि तैयार है।
  - यह **छात्रों, कुशल श्रमकिों, व्यावसायियों** और **युवा पेशेवरों** सहति वभिन्नि वर्गों के लयि आवाजाही की सुवधिा प्रदान करता है, उनके बीच वनिमिय तथा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - भारतीय छात्रों के लयि अस्थायी नविास: इटली में शैक्षणकि/व्यावसायकि प्रशक्षिण पूरा करने के बाद प्रारंभकि पेशेवर अनुभव हासलि करने के इच्छुक भारतीय वद्यिार्थयिों को 12 महीने तक के लयि अस्थायी नविास की अनुमतिदी जा सकती है।
  - श्रमकिों के लयि आरक्षति कोटा: समझौता गैर-मौसमी और मौसमी भारतीय श्रमकिों के लयि कोटा की रूपरेखा तैयार करता है, जसिमें मौजूदा फ्लो डक्रिी के तहत वर्ष 2023-2025 में आरक्षति कोटा सीमा शामलि है।
    - इतालवी सरकार की वार्षकि **"फ्लो डक्रिी" (डक्रिेटो फ्लुसी)** गैर यूरोपीय संघ के नागरकिों की अधकितम संख्या नर्धिारति करती है जो काम और स्व-रोज़गार के लयि इटली में प्रवेश कर सकते हैं।
- **क्रयिान्वयन:**
  - समझौता समाप्त होने तक स्वचालति नवीनीकरण के साथ **5 वर्षों** तक लागू रहेगा।
  - इसके कार्यान्वयन की देखरेख एक **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** द्वारा की जाएगी, जो प्रगतिका आकलन करने और कुशल नष्पादन के लयि सहायक उपाय सुझाने के लयि नयिमति आधार पर बैठक करेगा।

इटली के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- **परचिय:**
  - इटली **जूते के आकार (boot-shaped)** का प्रायद्वीप है जो दक्षणिी यूरोप से **एड्रयिाटकि सागर, टेरहेनयिन सागर, भूमध्य सागर** से घरिा हुआ है।
- **सीमावर्ती देश:**
  - इसकी **ऑस्ट्रयिा, फ्रॉन्स, होली सी (वेटकिन सटिी), सैन मैरनिो, स्लोवेनयिा और स्वटि्ज़रलैंड** के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं।
  - यह **अल्बानयिा, अल्जीरयिा, क्रोएशयिा, ग्रीस, लीबयिा, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनीशयिा** के साथ समुद्री सीमाएँ भी साझा करता है।
- **सरकार का स्वरूप:** गणतंत्र
- **राजधानी:** रोम
- **मुद्रा:** यूरो

- **प्रमुख परवत:** आल्प्स, एपेनाइन
- **प्रमुख नदियाँ:** पो, अदगि, अर्नो, टाईबर

//

भारत और इटली के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन से हैं?

- **ऐतहािसकि संबंध:**
  - इतालवी पत्तन शहरों ने व्यापारकि केंद्रों के रूप में मसाला व्यापार में महत्त्वपूरण भूमकिा नभिाई।

    - तेरहवीं शताब्दी में **वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो ने** अपनी पूर्वी यात्राओं के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया और अपने अनुभवों पर एक रिपोर्ट तैयार की।
- **राजनीतिक:**
    - भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध **वर्ष 1947** में स्थापित हुए।
    - **मार्च 2023** में भारत तथा इटली ने अपने संबंधों को **सामरिक साझेदारी** तक बढ़ाया।
- **आर्थिक:**
    - **वर्ष 2022-23 में** दोनों देशों के बीच **14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार किया गया।
        - इटली [यूरोपीय संघ]() में भारत के **शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों** में से एक है।
    - इटली को भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएँ **तैयार वस्त्र, चमड़ा, लौह अयस्क, मोटर वाहन, कपड़ा, रसायन, रत्न एवं आभूषण** हैं।
        - इटली से आयात की मुख्य वस्तुएँ सामान्य और **विशेष प्रयोजन यांत्रिकी, यंत्र उपकरण, धातुकर्म उत्पाद तथा अभियांत्रिकी संबंधी वस्तुएँ** हैं।
- **सुरक्षा:**
    - **भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह (India-Italy Military Cooperation Group- MCG)** दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये स्थापित एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **भारत और इटली से संबंधित अन्य पहलें:**
    - [भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा]()
    - [वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन]()
    - ब्लू-रमन परियोजना

विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम-किसान योजना

प्रिलिम्स के लिये:

विकसित भारत संकल्प यात्रा, [प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)](), [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना](), आधार लिंकेज, [संतृप्ति अभियान]()

मेन्स के लिये:

समृद्ध भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से संतृप्ति अभियान और पीएम किसान लाभार्थियों पर इसका प्रभाव।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]()

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना]() के लाभार्थियों की संख्या में **20% से अधिक** की गिरावट आई है, जो **अप्रैल-जुलाई 2022** में **10.47 करोड़** से घटकर **8.12 करोड़** हो गई है।

- सरकार के सक्रिय उपायों, विशेष रूप से **विकसित भारत संकल्प यात्रा** के तहत शुरू किये गए ["संतृप्ति अभियान"]() ने 34 लाख किसानों को लाभार्थियों की सूची में वापस जोड़ दिया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है?

- **परिचय:**
    - यह **सरकार की योजनाओं की संतृप्ति** प्राप्त करने के लिये **विस्तारित गतिविधियों** के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी [ग्राम पंचायतें](), [नगर पंचायतें]() और [शहरी स्थानीय निकाय]() शामिल हैं।
    - यह अभियान भारत सरकार के **विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों** की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
    - यह अभियान **कमज़ोर लोगों** तक पहुँच प्रदान करता है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है।
    - **जानकारी उपलब्ध करवाना** और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
    - **व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों (stories/ experience)** को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ

प्राप्तकर्त्ताओं के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन।

PM किसान सम्मान निधि योजना (PM-किसान) क्या है?

- **परिचय:**
  - इसे देश के किसानों की वित्तीय आवश्यकतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
  - इसका संचालन **दिसंबर, 2018** से शुरू हुआ है।
- **वित्तीय लाभ:**
  - इसके तहत **प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों** में **प्रतिवर्ष 6000/- रुपए** का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
- **योजना का दायरा:**
  - यह योजना प्रारंभ में **2 हेक्टेयर** भूमि वाले **छोटे तथा सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF)** के लिये थी किंतु सभी भूमिधारक किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़ा दिया गया।
- **वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन:**
  - यह भारत सरकार से 100% वित्तपोषण प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - इसका कार्यान्वन **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप **उचित फसल स्वास्थ्य** तथा **उचित पैदावार** सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद में **छोटे व सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं** को पूरा करना।
  - अमुक व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें **साहूकारों** के चंगुल में फँसने से बचाना तथा **कृषि गतिविधियों** में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- **PM-किसान मोबाइल ऐप:**
  - इसे **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के सहयोग से **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** द्वारा विकसित तथा डिज़ाइन किया गया था।
- **वास्तविक रूप से सत्यापन की व्यवस्था:**
  - योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष **5%** लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है।

PM-किसान से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अनिवार्य प्रावधान तथा आधार लिंकिंग:**
  - **अनिवार्य भूमि बीजारोपण प्रावधानों** तथा **आधार को सक्रिय बैंक खातों से जोड़ने** की आवश्यकता ने इस योजना को जटिल बना दिया है, जिससे किसानों के लिये इन शर्तों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - किसानों, विशेष रूप से दूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को **आधार लिंकिंग** तथा **भूमि बीजारोपण आवश्यकताओं** को पूरा करने में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे **PM-किसान** लाभों तक उनकी पहुँच में बाधा आ सकती है।
- **जागरूकता और आउटरीच:**
  - कई पात्र किसान अभी भी PM-Kisan योजना से अनजान हैं या उन्हें आवेदन प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी।
  - प्रयासों के बावजूद, **आउटरीच पहल** को कृषक समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने में संघर्ष करना पड़ सकता है, विशेषकर दूरदराज़ या हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में।
- **प्रौद्योगिकी पहुँच:**
  - स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित प्रौद्योगिकी पहुँच में असमानताएँ, किसानों की **PM-Kisan** नामांकन तथा अनुपालन के लिये आवश्यक ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ने की क्षमता में बाधा बन सकती हैं।

आगे की राह

- सरलता और दक्षता के लिये अनिवार्य भूमि बीजारोपण प्रावधानों एवं आधार लिंकिंग आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिये।
- निर्बाध अनुपालन हेतु उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प्लेटफार्म बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- कमज़ोर किसानों तक पहुँचने के लिये समुदाय-स्तरीय सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
- PM-Kisan के लाभों से अनजान पात्र किसानों की पहचान कर उनका समर्थन करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, कृषि सेवाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

[illegible]:

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को निवासियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार की अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मिश्रित या विषम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- **अतः विकल्प (d) सही है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/02-01-2024/print